सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 551 राँची, गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 दिसम्बर, 2025

संचिका संख्याः-4/आरोप-06/2023 का॰ 7303--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री अरबिन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत उप सचिव** के विरूद्ध श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पेटवार, बोकारो को सजयाफ्ता तिथि- 13.10.2018 से दिनांक-15.09.2021 तक अनुमान्यता से अधिक अनुचित रूप से भुगतान हेतु गलत प्रस्ताव देकर आदेश निर्गत कराये गये अधिक राशि का भुगतान करने, सजायाफ्ता व्यक्ति को साजिश के तहत् अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्ताव देने संबंधी आरोप के लिये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1032 दिनांक-02.05.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. विभागीय पत्रांक-3278 दिनांक-07.06.2023 द्वारा अनुलग्नक सहित आरोप पत्र की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध कराते हुए आरोप पत्र पर बचावबयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। बचाव बयान अप्राप्त होने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक- 5052 दिनांक- 08.09.2023 द्वारा श्री सिंह को स्मारित किया गया, परन्तु उनके द्वारा आरोप पत्र पर अपना बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया ।

3. आरोप पत्र पर बचाव-बयान प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-336 दिनांक-16.01.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-365 दिनांक-09.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

5. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को उनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अरबिन्द कुमार सिंह तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 551 - 50